न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **अशीष श्रीवास्तव**
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4191–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–11–2014 पारित द्वारा तहसीलदार, तहसील छतरपुर प्रकरण कमांक 16/अ–6–अ/11–12.

.....

परवतिया पुत्री स्व0 नरवदिया पत्नी बलू
काछी (मृतक) विधिक वारिस
1 रज्जू काछी पुत्र बलू काछी
2 हीराबाई पुत्री बलू काछी
निवासीगण नरसिंहगढ़ पुरवा (बगौता)
तहसील व जिला छतरपुर म0 प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

गोविन्ददास पुत्र नाथूराम वाजपेयी (मृतक) वारिस :
1 मुस0 नर्वदा बेवा गोविन्ददास वाजपेयी
2 माताप्रसाद वाजपेयी पुत्र स्व0 गोविंद दास वाजपेयी
3 घनश्याम वाजपेयी पुत्र स्व0 गोविंद दास वाजपेयी
4 दामोदर वाजपेयी पुत्र स्व0 गोविंद दास वाजपेयी
रामेश्वर वाजपेयी पुत्र स्व0 गोविंददास वाजपेयी (मृतक) वारिस
5 मुस0 उमा वाजपेयी बेवा रामेश्वर वाजपेयी
6 अर्पित वाजपेयी पुत्र स्व0 रामेश्वर वाजपेयी
समस्त निवासीगण नरसिंहगढ़ पुरवा (छुई खदान के पास) छतरपुर तहसील व जिला छतरपुर म0 प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19.10.2015 को पारित)

यह निगरानी प्रकरण कमांक 4191–एक/14 राजस्व मण्डल के समक्ष म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, छतरपुर के प्रकरण कमांक 16/अ–6–अ/11–12 में पारित आदेश दिनांक 21–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत हुआ है।

2/ प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख बुलाए गए हैं, जिनके साथ मेरे द्वारा नस्ती के समस्त अभिलेखों का बारीकी से परिशीलन किया गया है एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर गंभीरता से विचार किया गया है । इसके आधार पर प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है । वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1865 रकबा 1.20 एकड़ ग्राम बगौता, तहसील एवं जिला छतरपुर है । आवेदिका का कहना है कि इस भूमि पर वर्ष 2011 से 2013 तक उसकी माता स्व0 नरबदिया का नाम दर्ज था, जब (वर्ष 2013 में) बगैर सक्षम अधिकारी के आदेश के पटवारी द्वारा उस पर अनावेदक गोविन्ददास का नाम दर्ज कर दिया गया । इस पर आवेदिका द्वारा रिकार्ड सुधार कराने हेतु तहसीलदार को आवेदन दिया गया । तहसीलदार ने पटवारी की रिपोर्ट बुलाई, जिसमें इस भूमि पर अनावेदक गोविन्ददास का कब्जा मिला । तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 21–11–14 में यह लिखा कि विषयांकित भूमि का भू–अर्जन कलेक्टर द्वारा वर्ष 1994 में शासकीय प्रयोजन (के0व्ही0 स्टेशन की स्थापना) हेतु किया जा चुका है । तहसीलदार ने यह लिखते हुये कि आवेदिका द्वारा भू–अर्जन के समय कोई आपत्ति नहीं की गई थी, (तहसीलदार ने) आवेदिका का आवेदन समय बाह्य एवं विधिसंगत नहीं होना लिखते हुए, अपने आदेश दिनांक 21–11–14 से

अस्वीकृत कर दिया । इसके विरूद्ध आवेदिका ने राजस्व मण्डल में यह निगरानी प्रस्तुत की ।

3/ अपने तर्को में निगराकार आवेदिका ने निगरानी मेमों के बिन्दुओं को दोहराया, एवं यह कहा कि 2013 में आवेदिका का नाम काटकर, अनावेदक का नाम राजस्व अभिलेखों में, बगैर सक्षम अधिकारी का आदेश प्राप्त किए, इन्द्राज किया जाना एक 'अवास्तविक प्रविष्टि' है, जो समय सीमा से बाधित भी नहीं होती । उन्होंने अपने मेमों एवं तर्कों में यह भी बताया है कि उन्हें भू–अर्जन का कोई मुआवजा नहीं मिला था, तथा यह कि भू–अर्जन की कार्यवाही के उपरान्त अभी तक विषयांकित भूमि चिन्हित शासकीय कार्य (के0व्ही0 स्टेशन का निर्माण) नहीं हुआ है, और ऐसे नहीं होने पर अनावेदक गोविन्ददास द्वारा इस भूमि पर कब्जा किया जाना अनुचित है, साथ ही तहसीलदार द्वारा विषयांकित भूमि से गोविन्ददास का कब्जा नहीं हटाया जाना और राजस्व अभिलेखों से भी गोविन्ददास का नाम नहीं हटाया जाना, तहसीलदार द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्यवाही किए जाने की ओर इशारा करता है, जिस कारणवश तहसीलदार का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के तर्को में यह बताया गया कि वर्तमान में प्रकरण में प्रारंभिक आपत्तियों के आधार पर निर्णय होना है, ना कि गुणदोष पर । यह भी बताया कि चूँकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अंतिम आदेश है, अतः उसके विरूद्ध अपील की जा सकती है, निगरानी नहीं ।

5/ अध्ययन एवं विचारोपरान्त मैं यह पाता हूँ कि इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त सुसंगत बिन्दुओं को विचार में लेकर, समुचित तौर पर बोलता हुआ न्यायपूर्ण आदेश पारित नहीं किया गया है । तहसीलदार ने अपने न्यायालय के प्रकरण की नस्ती में समस्त आवश्यक राजस्व एवं भू–अर्जन के अभिलेखों को भी सही प्रकार से संलग्न एवं व्यवस्थित नहीं किया है, जिसकी वजह

से विभिन्न बिन्दुओं पर पूर्ण स्पष्टता प्राप्त करने में कठिनाई होती है । इसके प्रकाश में मैं यह प्रकरण तहसीलदार को निम्न निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित करता हूँ :–

(1) तहसीलदार अपने न्यायालय का प्र0क0 16 / अ6अ / 11–12 पुनः खोलें।

(2) विषयांकित भूमि के भूमिस्वामित्व एवं कब्जे का पूर्ण इतिहास (सुसंगत ऐतिहासिक अवधि से) बाकायदा ट्रेस करें, लिखें। उनके न्यायालय के प्रकरण की नस्ती में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की प्रतियों में कभी आवेदिका, तो कभी अनावेदक का नाम देखने को मिलता है, तो कहीं अनावेदक को इस भूमि के संबंध में पट्टे की प्रति देखने को मिलती है । इन सब बातों को लेकर पूरा इतिहास और अद्यतन स्थिति, स्वत्व एवं कब्जे दोनों के संबंध में पूर्णतः स्पष्ट करें ।

(3) भू–अर्जन कार्यवाही से संबंधित समस्त सुसंगत बिन्दुओं को भी पूरी तरह स्पष्ट करें । आवेदिका को भू–अर्जन का मुआवज़ा मिला या नहीं, तथा इस भू–अर्जन की कार्यवाही के उपरान्त क्या हुआ, पूर्ण स्थिति स्पष्ट करें ।

(4) उपरोक्त समस्त के प्रकाश में यह देखें कि वर्तमान में भूमि पर वैधानिक स्वामित्व एवं आधिपत्य का अधिकार किसका बनता है–निगराकार पक्ष का, गैर–निगराकार पक्ष का या शासन का । पूर्ण आधार, कारण एवं विवेचना विस्तार से लिखते हुए बोलता हुआ निर्णय अभिलिखित करें ।

(5) इस निर्णय के आधार पर अभिलेख, कब्जे आदि की कार्यवाही पूर्ण कराएं ।

(6) उपरोक्त कार्यवाही के दौरान समस्त हितबद्ध पक्षकारों को (शासन सहित) अपने हित समर्थन, प्रतिपरीक्षण इत्यादि के लिए समुचित अवसर, विधि एवं सहज न्याय के सिद्धांतों के अनुसार, उपलब्ध कराएं।

(7) उपरोक्त समस्त कार्यवाही इस आदेश की उनको संसूचना के

अधिकतम 6 माह के दौरान अनिवार्यतः पूर्ण करें ।

पक्षकार सूचित हो ।

अभिलेख वापस हों ।

प्रकरण समाप्त । दा0 दर्ज हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश
ग्वालियर